बाढ़ अतिआवश्यक
रेड अलर्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (सहायता), टोंक

क्रमांक :–सहा0/बाढ़/अतिवृष्टि/2024–25/2651 दिनांक :–05/07/2024

आदेश

मौसम विभाग तथा अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय प्रबंधन एवं राजस्थान जयपुर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान द्वारा टोंक जिले में अत्यधिक भारी बारिश एवं बाढ़ की संभावना को दखते हुये रेड़ अलर्ट जारी किया गया हैं। रेड़ अलर्ट/चेतावनी के आधार पर ज़िले में दिनांक 06.07.2024 से 07.07.2024 तक अत्यधिक भारी बारिश एवं बाढ़ की संभावना को देखते हुए जिले में संचालित कक्षा 1 से 12 के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विधार्थियों को बाढ़ प्रभाव से बचाव एवं विधार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः मैं डॉ. सौम्या झा, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण टोंक, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए टोंक जिले में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों हेतु दिनांक 06.07.2024 का अवकाश घोषित करती हूँ। यह अवकाश केवल छात्रों के लिये लागू होगा। शेष स्टाफ यथावत कार्य करेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वें इस आदेश की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान निर्धारित समय के पश्चात विद्यालय संचालन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

https://rajasthanjobportal.in/

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,
टोंक

क्रमांक :–सहा0/बाढ़/अतिवृष्टि/2024–25/2652–59 दिनांक :–05/07/2024

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी, टोंक
2. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक, टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. पीईईओ/यूसीईईओ..।
4. समस्त संस्था प्रधान राजकीय/निजी को पालनार्थ।
5. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, टोंक।
6. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
टोंक